

कार्यालय

अग्निशमन

अधिकारी

बडौत

जनपद

बागपत।

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का वार्षिक अनापत्ति-पत्र
पत्र संख्या-एफएस-फा0एक्स0कार्य0-29/2021

दिनांक-जुलाई 09, 2021

स्वामी/प्रबन्धक

विद्या सागर स्कूल

बिनीली रोड, बडौत

जनपद बागपत।

विषय:- संस्थान में स्थापित प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था की कार्यशीलता का वार्षिक अनापत्ति-पत्र के संबंध में।

सन्दर्भ:-आपके प्रार्थना पत्र संख्या-निल

दिनांक-06.07.2021।

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक-27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क (10 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर्स) रू०-100 भारतीय स्टेट बैंक शाखा बडौत जनपद बागपत में चालान संख्या-6900070 दिनांक-09.06.2021 द्वारा जमा कराया गया। रसीद प्राप्ति के उपरान्त संस्थान में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं०	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	सं०	कार्यशील/अकार्यशील
1	ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर्स	4.50 किग्रा०	10	कार्यशील
2	सी0ओ0टू० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर्स	4.50 किग्रा०	01	कार्यशील

उपरोक्तानुसार संस्थान में उपलब्ध प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशरों की वार्षिक रिफिलिंग/परीक्षण एवं National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005/2016 में निर्धारित मानकों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था को कार्यशील रखने का दायित्व भवन स्वामी / प्रबन्धक का होगा।



21/7/21
अग्निशमन अधिकारी
(नरेन्द्रपाल सिंह)
अग्नि शमन द्वितीय अधिकारी
बागपत

For VIDYA SAGAR SCHOOL

Chairman

Secretary